



राजस्थान सरकार प्राविधिक शिक्षा मण्डल,राजस्थान,जोधपुर डब्ल्यू—६ रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर,

फोन नं 0291 2430440, 2636572 ई मेल bter.jodhpur@rajasthan.gov.in

क्मांक एफ 4 (152 s) प्राशिमं/पाविप्र/2022-23/5316

दिनांक OCT 2022

प्रधानाचार्य,

समस्त राजकीय (सह शिक्षा व महिला) पॉलिटेक्निक महाविद्यालय/समस्त निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय

द्वारा : ई-मेल

विषय :- वार्षिक पद्धितं से सेमेस्टर पद्धित में समायोजित हुए विद्यार्थियों के चेक पॉइंट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि वार्षिक पद्धित से सेमेस्टर पद्धित में समायोजित हुए विद्यार्थियों को Diploma के समस्त विषयों को उत्तीर्ण करने के लिए उनके Enrollment Year से अधिकतम 8 वर्ष देय होंगे अर्थात् वार्षिक पद्धित से सेमेस्टर पद्धित में समायोजित हुए विद्यार्थियों के लिए मण्डल के Rules and Regulations for Engineering and Non Engineering, Semester Scheme 2020-21(Revised-II) के बिन्दु संख्या 8- Check point का उप बिन्दु संख्या 8.3 निम्नानुसार होगा :--

8.3 A student has to earn full credits required for the diploma programme by the end of Eight academic years from the year of enrolment failing which his/her enrolment with the Board will automatically be cancelled.

शेष नियम यथावत रहेंगे।

कृपया सभी सम्बन्धित को सूचित करें एवं सूचना महाविद्यालय के <u>नोटिस बोर्ड</u> तथा वेबसाइट पर चस्पा करावें।

भवदीया

संयुक्त निदेशक एवं सचिव